राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांकः 22.06.2010

पंजीयन अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(1) भरतपुर उपजिले से संबंधित कॉलम संख्या 1 में क्रम संख्या 2 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार बयाना" को अभिव्यक्ति "तहसीलदार बयाना" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(2) बीकानेर उपजिले से संबंधित कॉलम संख्या 1 में क्रम संख्या 1 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार बीकानेर" को अभिव्यक्ति "1-(अ) उप रजिस्ट्रार बीकानेर प्रथम, 1-(ब) उप रजिस्ट्रार बीकानेर द्वितीय" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(3) हनुमानगढ़ उपजिले से संबंधित कॉलम संख्या 1 में क्रम संख्या 3 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार सांगरिया" को अभिव्यक्ति "तहसीलदार सांगरिया" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(4) जोधपुर उपजिले से संबंधित कॉलम संख्या 1 में क्रम संख्या 3 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार जोधपुर तृतीय" के नीचे नयी अभिव्यक्ति "3-(अ) उप रजिस्ट्रार जोधपुर चतुर्थ" जोडी जावेगी।

(प.2(17)वित्त/कर/10-23)
राज्यपाल के आदेश से

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

क्रमांक :एफ-7(37)जन/10/57024-615) दिनांक :28/06/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

28/6/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर